रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 201] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 28, 1999/वैशाख 8, 1921
No. 201] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 28, 1999/VAISAKHA 8, 1921

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1999

**सं. 40/99-सीमा शुल्क**

**सा.का.नि. 288(अ).**—केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक अधिसूचना का, उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधन या और संशोधन किया जाएगा।

सारणी

| क्रम सं. | अधिसूचना सं और तारीख | संशोधन |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 3/88-सीमाशुल्क, तारीख 14 जनवरी, 1988 | उक्त अधिसूचना में,—<br>(1) आरंभिक पैरा में,—<br>(क) शर्त (vi) के अंत में निम्नलिखित "स्पष्टीकरण" अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—<br>"स्पष्टीकरण—शर्त (vi) के प्रयोजनों के लिए, स्वर्ण और चांदी की बाबत उक्त मालों पर उद्ग्रहीत सीमा शुल्क भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 88/97-सीमा शुल्क तारीख 21 अक्तूबर, 1997 के अधीन समय-समय पर संशोधित रूप में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क तक सीमित होगा"।<br>(ख) शर्त (xi) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—<br>"परन्तु विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले स्वर्ण या चांदी के स्क्रैप, धूल या झाड़न, आयातकर्ता द्वारा यथास्थिति मानक स्वर्ण या चांदी शलाकाओं में संपरिवर्तित करने के लिए और सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त कांपलेक्स को वापस करने के लिए सरकारी टकसाल को भेजे जा सकेंगे या उक्त स्क्रैप, धूल या झाड़न में यथास्थिति स्वर्ण या चांदी की अंतर्वस्तु पर |

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| | | विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले स्वर्ण या चांदी के ऐसे स्क्रैप, धूल या झाड़न को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना 88/97-सीमा-शुल्क तारीख 21 अक्तूबर, 1997 में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उसकी निकासी की जा सकेगी।<br>(ग) सारणी के नीचे शर्त (xiii) में 'ङ' के सामने, स्तंभ (i) में "विनिर्मित चेन" शब्दों के स्थान पर "विनिर्मित चेन और चूड़ियों" शब्द रखे जाएंगे;<br>(घ) "स्पष्टीकरण" में शर्त (xiii) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—<br>"(घ) पद सादा आभूषण और उनसे बनी हुई बिना जड़ी हुई वस्तुओं के अंतर्गत जिनमें स्वर्ण और काले दाने से बना हुआ 'मंगल सूत्र' भी है";<br>(ङ) शर्त (xiv) के स्थान पर निम्नलिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—<br>"(xiv) इस अधिसूचना के अधीन पूंजी माल से भिन्न उक्त माल का आयात और निर्यात दिल्ली विमानपत्तन के माध्यम से मालवाहक विमान द्वारा या निर्यात डाक पार्सल द्वारा इस अधिसूचना के अधीन सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी प्राधिकृत कोरियर के माध्यम से किया जा सकेगा : परन्तु किसी प्राधिकृत कोरियर के माध्यम से भेजे जाने वाले किसी पारेषण का पोतपर्यंत नि:शुल्क मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक नहीं होगा"।<br>(च) शर्त (xvi) का लोप किया जाएगा;<br>(2) उपाबंध में मद सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—<br>"12 पुन: निर्यात करने के लिए पुराने सादा स्वर्ण आभूषण, पुराने सादा प्लेटिनम आभूषण और चांदी के आभूषणों की मरम्मत करना या पुन: गढ़ाई करना।" |
| 2. | 277/90-सीमा-शुल्क तारीख 12 दिसंबर, 1990 | उक्त अधिसूचना में,—<br>(1) आरंभिक पैरा में,—<br>(क) शर्त (vii) के अंत में निम्नलिखित "स्पष्टीकरण" अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—<br>"स्पष्टीकरण—शर्त (vii) के प्रयोजनों के लिए, स्वर्ण और चांदी की बाबत उक्त मालों पर उद्ग्रहीत सीमा-शुल्क भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 80/97-सीमा-शुल्क, तारीख 21 अक्तूबर, 1997 के अधीन समय-समय पर संशोधित रूप में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क तक सीमित होगा।"<br>(ख) शर्त (xii) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—<br>"परन्तु विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले स्वर्ण या चांदी के स्क्रैप, धूल या झाड़न, आयातकर्ता द्वारा यथास्थिति मानक स्वर्ण या चांदी शलाकाओं में संपरिवर्तित करने के लिए और सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त उपक्रम को वापस करने के लिए सरकारी टकसाल को भेजे जा सकेंगे या उक्त स्क्रैप, धूल या झाड़न में यथास्थिति स्वर्ण या चांदी की अंतर्वस्तु पर विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले स्वर्ण या चांदी के ऐसे स्क्रैप, धूल या झाड़न को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 80/97-सीमा-शुल्क तारीख 21 अक्तूबर, 1997 में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उसकी निकासी की जा सकेगी";<br>(ग) सारणी के नीचे शर्त (xiv) में, 'ङ', के सामने, स्तंभ (1) में "विनिर्मित चेन" शब्दों के स्थान पर "विनिर्मित चेन और चूड़ियां" शब्द रखे जाएंगे;<br>(घ) स्पष्टीकरण में शर्त (xiv) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—<br>(घ) पद "सादा आभूषण और उनसे बनी हुई बिना जड़ी हुई वस्तुओं के अंतर्गत जिनमें स्वर्ण और काले दाने से बना हुआ मंगल सूत्र भी है।"। |

(ङ) शर्त (xv) के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें अंत: स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(xvक) इसकी सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्यात करने के प्रयोजन के लिए उक्त यात्री संभलवाने के लिए तत्संबंधी सीमा-शुल्क विमानपत्तन पर सीमा-शुल्क भांडागार में रखने के लिए आयात और निर्यात नीति 1 अप्रैल, 1977-31 मार्च, 2002 के अनुसार कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली और मुंबई के नगरपालिका सीमाओं में स्थित एककों में विनिर्मित और विदेशगामी यात्री से खरीदे हुए रत्न और आभूषण को स्थानांतरित किया जा सकेगा।

(xvख) निर्यातोन्मुखी एककों में विनिर्मित रत्न और आभूषणों के निर्यात के लिए सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकृत कोरियर द्वारा भेजे जाएंगे।

परन्तु मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, बंगलौर, अहमदाबाद या हैदराबाद से निर्यात सीमाशुल्क हाउस के द्वारा किया जाता है और प्राधिकृत कोरियर के द्वारा किसी पारेषित माल का पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य बीस लाख रुपए से अनधिक होगा।

(2) उपाबंध में मद सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी। अर्थात् "12 पुन: निर्यात करने के लिए पुराने सादा स्वर्ण आभूषण, पुराने सादा प्लेटिनम आभूषण और चांदी के आभूषणों की मरम्मत करना या पुन: गढ़ाई करना।"

3. 177/94-सीमा-शुल्क तारीख 21 अक्तूबर, 1994 उक्त अधिसूचना में

(i) आरंभिक पैरा में,—

(क) शर्त (ख) के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात :—

"परन्तुक विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले स्वर्ण या चांदी के स्क्रैप, धूल या झाड़न, आयातकर्ता द्वारा यथास्थिति मानक स्वर्ण या चांदी शलाकाओं में संपरिवर्तित करने के लिए और सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार उक्त जोन को वापस करने के लिए सरकारी टकसाल को भेजे जा सकेंगे उक्त स्क्रैप, धूल या झाड़न में यथास्थिति स्वर्ण या चांदी की अंतर्वस्तु पर विनिर्माण प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले स्वर्ण या चांदी के ऐसे स्क्रैप, धूल या झाड़न को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 80/97-सीमा शुल्क तारीख 21 अक्तूबर, 1997 में यथाविनिर्दिष्ट शुल्क संदाय पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र से उसकी निकासी की जा सकेगी।

(ख) सारणी के नीचे शर्त (10), में, 'ङ' के सामने, स्तंभ (1) में "विनिर्मित चेन" के स्थान पर "विनिर्मित चेन और चूड़ियां" शब्द रखे जाएंगे,

(ग) "स्पष्टीकरण" में शर्त (10) के खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:-स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(घ) पद "सादा आभूषण और उनसे बनी हुई बिना जुड़ी हुई वस्तुओं के अंतर्गत जिनमें स्वर्ण और काले दाने से बना हुआ 'मंगल सूत्र' भी है।'

(ङ) शर्त (2) में, आरंभिक भाग में (2) डाक पार्सल से आरंभ होने वाले और "सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा यथाविनिर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में जैसी सीमा-शुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए डाक पार्सल से या प्राधिकृत कोरियर के माध्यम से :

परन्तु, मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, दिल्ली, बंगलौर, या हैदराबाद से निर्यात सीमाशुल्क हाउस के द्वारा किया जाता है और प्राधिकृत कोरियर के द्वारा किसी पारेषित माल का पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य बीस लाख रुपए से अनधिक होगा;"

(2) पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

"4. इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए आयातकर्ता द्वारा आयातित स्वर्ण और चांदी पर उद्ग्रहीत सीमा-शुल्क, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 80/97-सीमा-शुल्क तारीख 21 अक्तूबर, 1997 में विनिर्दिष्ट शुल्क तक सीमित होगा ।

(3) उपाबंध 1 में मद सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित मद सं. और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"13. पुन: निर्यात करने के लिए पुराने सादा स्वर्ण आभूषण, पुराने सादा प्लैटिनम आभूषण और चांदी के आभूषण की मरम्मत करना या पुन: गढ़ाई करना ।"

[फा. सं. 305/40/99-एफ.टी.टी.]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

**टिप्पणी**

1. दिनांक 14 जनवरी, 1988 की मूल अधिसूचना सं. 3/88-सी.शु. सा.का.नि. सं. 31(अ), तारीख 14 जनवरी, 1988 के तहत जारी की गई थी और इसे सा.का.नि. सं. 220(अ), तारीख 27 अप्रैल, 1998 के तहत दिनांक 27 अप्रैल,1998 की अधिसूचना सं. 2/98-सी.शु. द्वारा संशोधित किया गया था।

2. दिनांक 12 दिसम्बर, 1990 की मूल अधिसूचना सं. 277/90-सी.शु. सा.का.नि. सं. 943(अ), के तहत जारी की गई थी और इसे सा.का.नि. सं. 219(अ), तारीख 27 अप्रैल, 1998 के तहत दिनांक 27 अप्रैल,1998 की अधिसूचना सं. 12/98-सी.शु. द्वारा पीछे संशोधित किया गया था।

3. दिनांक 21 अक्तूबर, 1994 की मूल अधिसूचना सं. 177/94-सा.का.नि. सं. 771(अ), तारीख 21 अक्तूबर, 1994 के तहत जारी की गई थी और इसे सा.का.नि.सं. 475 (अ) तारीख 5 अगस्त, 1998 के तहत दिनांक 5 अगस्त,1998 की अधिसूचना सं. 61/98-सी.शु. द्वारा पीछे संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue)**

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 1999

**No. 4D/99-Cus**

**G.S.R. 281 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

**TABLE**

| S. No. | Notification No. and date | Amendment |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | 3/88-Customs, dated the 14th January, 1998 | In the said notification, —<br>(1) in opening paragraph,—<br>(a) in the end of condition (vi), the following 'Explanation' shall be inserted, namely :—<br>"Explanation— For the purposes of condition (vi), duty of customs leviable on said goods in respect of gold and silver shall be limited to the duty as specified under notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 80/97–Customs, dated the 21st October, 1997 as amended from time to time".<br>(b) for the first proviso to the condition (xi), the following proviso shall be substituted, namely :— |

"Provided that scrap, dust or sweepings of gold or silver arising in the manufacturing process may be forwarded to the Government Mint by the importer for conversion into standard gold or silver bars as the case may be, and return to the said complex in accordance with the procedure specified by the Commissioner of Customs in this regard or such scrap, dust or sweepings of gold or silver arising in the manufacturing process may be cleared to the Domestic Tariff Area on payment of duty as specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 80/97–Customs, dated the 21st October, 1997 on the gold or silver content, as the case may be, in the said scrap, dust or sweepings;";

(c) in the Table below condition (xiii), in column (1) against 'e', for the words "Chain manufactured", the words "Chain and Bangles manufactured" shall be substituted;

(d) in the 'Explanation' to the condition (xiii), after clasue (c), the following clause shall be inserted, namely :—

(d) The expression "Plain jewellery and articles thereof unstudded shall include 'Mangal Sutra' containing gold and black beads.".

(e) for condition (xiv), the following condition shall be substituted—

"(xiv) the export and import under this notification of the said goods other than capital goods may be made by air-freight through Delhi Airport or through post parcel and the export under this notification may also be made through authorized couriers as per procedure prescribed by the Commissioner of Customs:

Provided that the Free on Board value of any consignment through the authorized courier shall not exceed rupees twenty lakhs.";

(f) Condition (xvi) shall be omitted;

(2) in the Annexure, after item number 11 and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be inserted, namely :—

"12 Old plain gold jewellery, old plain platinum jewellery, and old plain silver jewellery for repair or remaking for re-export "

2. 277/90–Customs dated the 12th December, 1990 — In the said notification,—

(1) in the opening paragraph,—

(a) in the end of condition (vii), the following 'Explanation' shall be inserted, namely :—

"Explanation—For the purposes of condition (vii), duty of customs leviable on said goods in respect of gold and silver shall be limited to the duty as specified under notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 80/97–Customs, dated the 21st October, 1997 as amended from time to time".

(b) for the first proviso to the condition (xii), the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that scrap, dust or sweepings of gold or silver arising in the manufacturing process may be forwarded to the Government Mint by the importer for conversion into standard gold or silver bars as the case may be, and return to the said undertaking in accordance with the procedure specified by the Commissioner of Customs in this regard or such scrap, dust or sweepings of gold or silver arising in the manufacturing process may be cleared to the Domestic Tariff Area on payment of duty as specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 80/97–Customs, dated the 21st October, 1997 on the gold or silver content, as the case may be, in the said scrap, dust or sweepings;";

(c) in the Table below condition (xiv), in column (1) against 'e', for the words "Chain manufactured", the words "Chain and Bangles manufactured" shall be substituted;

(d) in the 'Explanation' to the condition (xiv), after clause (c), the following clause shall be inserted, namely :—

(d) The expression "Plain jewellary and articles thereof unstudded shall include 'Mangal Sutra' containing gold and black beads.";

(e) after condition (xv), the following conditions shall be inserted, namely :—

(xv-a) gems and jewellery manufactured in the units situated in municipal limits of Calcutta, Chennai, Delhi and Mumbai and sold to foreign bound passenger may be transferred, in accordance with Import and Export Policy 1 April, 1997–31 March, 2002, to Customs Warehouse at respective Customs Airport for being handed over to the said passenger for the purpose of export as per procedure specified by the respective Commissioner of Customs in this regard;

(xv-b) the export of gems and Jewellery manufactured in the Export Oriented Units may be made through the authorised couriers as per procedure specified by Commissioner of Customs M :

Provided that the export are made through Customs Houses at Mumbai, Calcutta, Chennai, Delhi, Jaipur, Bangalore, Ahmedabad or Hyderabad and the Free on Board (FDB) value of any consignment through authorised courier shall not exceed rupees twenty lakhs.

(2) in the Annexure, after item number 11 and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be inserted, namely :—

"12 Old plain gold jewellery, old plain platinum jewellery and old plain silver jewellery for repair or remaking for re-export."

3. 177/94–Customs, dated the 21st October, 1994

In the said notification,—

(1) in the opening paragraph,—

(a) for the first proviso to the condition (B), the following proviso shall be substituted, namely :—

"Provided that scrap, dust or sweepings of gold or silver arising in the manufacturing process may be forwarded to the Government Mint by the importer for conversion into standard gold or silver bars as the case may be, and return to the said zone in accordance with the procedure specified by the Commissioner of Customs in this regard or such scrap, dust or sweepings of gold or silver arising in the manufacturing process may be cleared to the Domestic Tariff Area on payment of duty as specified in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 80/97–Customs, dated the 21st October, 1997 on the gold or silver content, as the case may be, in the said scrap, dust or sweepings;";

(b) in the Table below condition (10), in column (1) against 'e', for the words "Chain manufactured", the words "Chain and Bangles manufactured" shall be substituted;

(c) in the 'Explanation' to the condition (10), after clause (c), the following clause shall be be inserted, namely :—

(d) The expression "Plain jewellery and articles thereof unstudded shall include 'Mangal Sutra' containing gold and black beads.";

(d) in condition (11), for the portion beginning with the brackets, figures and words "(ii) through post parcels and ending with the words "as may be specified by the Commissioner of Customs", the following shall be substituted, namely :—

"(ii) through post parcels or through the authorised couriers, in accordance with such procedure as may be specified by the Commissioner of Customs :

Provided that when exports are made through authorised couriers through Customs Houses at Mumbai, Calcutta, Chennai, Delhi, Bangalore or Hyderabad, the Free on Board value of any consignment shall not exceed rupees twenty lakhs.";

(2) after paragraph 3, the following paragaraph shall be inserted, namely,—

"4 For the purposes of this notification, the duty of customs leviable on gold and silver imported by the importer shall be limited to the duty specified under notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 80/97–Customs, dated the 21st October, 1997.";

(3) in the Annexure–I after item number 12 and the entries relating thereto, the following item number and entries shall be inserted, namely :—

"13 Old plain gold jewellery, old plain platinum jewellery, and old plain silver jewellery for repair or remaking for re-export."

[F. No. 305/40/99–FTT]

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

**NOTE**

1. The Principal notification No. 3/88–Customs, dated the 14th January, 1988 was issued under G.S R No. 31 (E), dated the 14th January, 1988 and was last amended by notification No. 11/98–Customs, dated the 27th April, 1998 under G.S.R. No. 220 (E), dated the 27th April, 1998.

2. The Principal notification No. 277/90–Customs, dated the 12th December, 1990 was issued under G.S R No 943 (E) and was last amended by notification No. 12/98–Customs dated the 27th April, 1998 under G.S.R. No 219 (E), dated the 27th April, 1998.

3. The Principal notification No. 177/94–Customs, dated the 21st October, 1994, was issued under G.S R No 771 (E) dated the 21st October, 1994 and was last amended by notification No. 61/98–Customs dated the 5th August, 1998 under G.S.R. No. 475 (E) dated the 5th August, 1998.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1999

सं. 41/99-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 289 (अ)**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है इस अधिसूचना के उपाबंध 1 और उपाबंध 2 में यथा विनिर्दिष्ट माल को जब उनका भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना सं. 1/97, तारीख 31 मार्च, 1997 द्वारा प्रकाशित प्रक्रिया जिल्द 1, 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002 की हस्तपुस्तिका के पैरा 8.88 में निर्दिष्ट पुन:पूर्ति अनुज्ञप्ति के अधीन भारत में आयात किया जाता है, यथास्थिति, रत्न और आभूषण या तराशे गए और पालिश किए गए हीरे के निर्यात के पूर्वगामी वित्तीय वर्ष की पोत पर्यन्त नि:शुल्क मूल्य के एक प्रतिशत तक,—

(1) उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क से छूट देती है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है;

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की क्रमश: धारा 3 और धारा 3क के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह कि इस अधिसूचना के अधीन आयात किए गए माल का, यथास्थिति, रत्न और आभूषण या तराशे गए और पालिश किए गए हीरे के विनिर्माण के लिए, उक्त पुन: पूर्ति अनुज्ञप्तियों के धारकों द्वारा निर्यात के लिए उपयोग किया जाता है।

**उपाबंध-1**

| क्रम सं. | रत्न और आभूषण के निर्यातकर्ताओं के लिए माल का वर्णन |
|---|---|
| 1. | विशेष औद्योगिक आसंजक या गोंद |
| 2. | मूल अयस्क (जिसका स्वर्ण में मिश्रण बनाने के लिए स्वर्ण आभूषणों में उपयोग किया जाता है) |
| 3. | ग्रेवर, फाइल्स और रोटरी बर्स या फाइल्स |
| 4. | विनिधान चूर्ण |
| 5. | रोडियम और प्लेटिंग लवण |
| 6. | मोम |

**उपाबंध-2**

| क्रम सं. | तराशे गए और पालिश किए गए हीरे के निर्यातकर्ताओं के लिए माल का वर्णन |
|---|---|
| 1. | विशेष औद्योगिक आसंजक |
| 2. | गोंद और घोल |
| 3. | संश्लिष्ट हीरा चूर्ण |
| 4. | हीरा स्क्रैप |
| 5. | ई०जी०एस० छड़ों (5.5 मिमी.) बीएस/001/009 के लिए कोलेट्स |
| 6. | टाप के लिए डोवटेल एचएसएस ग्रीफ |
| 7. | पैंदी और टाप टेंग के लिए अतिरिक्त बक्सा |
| 8. | सभी किस्म के डाप्स के लिए पुर्जे |

2. भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 79/96-सीमाशुल्क, तारीख 8 अक्तूबर, 1996 [सा.का.नि. 456 (अ), तारीख 8 अक्तूबर, 1996] विखंडित की जाती है।

[फा० सं० 305/040/99-एफटीटी]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 28th April, 1999

**NOTIFICATION**

**No. 41/99-Customs**

**G.S.R. 289 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods as specified in the Annexure-I and Annexure-II to this notification, upto one per cent of the Free On Board (FOB) value of preceding financial year of the export of Gems and Jewellery or cut and polished diamonds, as the case may be, when imported into India against the Replenishment Licence referred to in para 8.88 of the Hand Book of Procedures Vol. I, 1st April, 1997—31st March, 2002, published vide notification of the Government of India, Ministry of Commerce, No. 1/97, dated the 31st March, 1997 as amended from time to time, from—

(i) the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975);

(ii) the whole of the additional duty and special additional duty leviable thereon under section 3 and section 3A respectively of the said Customs Tariff Act;

Provided that the goods imported under this notificaiton are used for the manufacture of Gems and Jewellery or the cut and polished diamonds, as the case may be, for export by the holders of the said Replenishment Licenses.

**ANNEXURE-I**

| Sl. No. | Description of goods for exporters of Gems and Jewellery |
|---|---|
| 1 | Special Industrial Adhesives or Gums |
| 2. | Master Alloys (used in gold jewellery for mixing in gold) |
| 3. | Gravar, files and rotary burs or files |
| 4. | Investment powder |
| 5. | Rhodium and plating salts |
| 6. | Waxes. |

**ANNEXURE-II**

| Sl. No. | Description of goods for exporters of cut and polished Diamonds |
|---|---|
| 1. | Special Industrial Adhesives |
| 2. | Gums and Solution |
| 3 | Synthetic Diamond Powders |
| 4. | Diamond Scaifes |
| 5 | Collects for E.G.S. Sticks (5.5 mm) BS/001/009 |
| 6. | Dovetail HSS Grief for Top |
| 7 | Spare Box for bottom and Top Tang |
| 8. | Spare for all types of dops. |

2. The notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 79/96-Customs, dated the 8th October, 1996 (G.S.R. 456 (E), dated the 8th October, 1996), is hereby rescinded.

[F. No. 305/040/99-FTT]

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1999

अधिसूचना

सं. 42/99-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 290 (अ)**—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की पहली अनुसूची के अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले तराशे गए और पालिश किए गए हीरे और रत्नों को, जब उनका निर्यात-आयात नीति के पैरा 8.4 के साथ पठित पैरा 8.3 के अधीन जारी किए गए यथास्थिति, हीरा छापित अनुज्ञप्तियों के धारकों या, एचओपी के पैरा 8.30 में निर्दिष्ट रत्न पुनःपूर्ति अनुज्ञप्तियों के धारकों द्वारा भारत में आयात किया जाता है, तराशे गए और पालिश किए गए, यथास्थिति, हीरे या स्टडित आभूषण के पूर्वगामी वित्तीय वर्ष के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के पांच प्रतिशत तक, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमाशुल्क और उक्त अधिनियम की क्रमशः धारा 3 और धारा 3क के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क, यदि कोई हो से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

(i) आयातकर्ता की तराशे गए और पालिश किए गए हीरे की दशा में निर्यात-आयात नीति के अनुसार निर्यात-गृह या व्यापार-गृह या स्टार व्यापार गृह अथवा सुपर स्टार व्यापार गृह की प्रास्थिति है और आयात किए गए माल की बाबत आयातकर्ता निर्यात-आयात नीति के पैरा 3.6 के अर्थान्तर्गत वास्तविक उपयोक्ता है;

(ii) इस प्रकार आयात किए गए तराशे गए और पालिश किए गए हीरों के किसी पारेषण में किसी एक टुकड़े का अधिकतम भार 25 सेंट या एक कैरेट के एक चौथाई से अधिक नहीं होगा और इस अधिसूचना के अधीन हकदारी को अग्रणीत करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;

(iii) आयातकर्ता ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि का निम्नलिखित वचन देते हुए एक बंधपत्र निष्पादित करता है जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए—

(क) इस प्रकार आयात किए गए माल का, आयात की तारीख से एक वर्ष के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के दौरान जो सहायक सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा अनुज्ञात की जाए पुन: निर्यात करना;

(ख) उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क और ऐसे हीरे और रत्नों की मात्रा पर जो यथास्थिति एक वर्ष की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या, ऊपर (क) के अधीन बढ़ाई गई अवधि के भीतर निर्यात नहीं किया जाता है, शास्ति और जुर्माने, यदि कोई हो, की मांग पर भुगतान करना।

**स्पष्टीकरण** :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए "निर्यात-आयात नीति" पद से निर्यात और आयात नीति, 1 अप्रैल, 1997—31 मार्च, 2002, अभिप्रेत है, तथा "एच ओ पी" पद से प्रक्रिया जिल्द 1, 1 अप्रैल 1997—31 मार्च, 2002, की हस्त पुस्तिका अभिप्रेत है, जो भारत के राजपत्र (असाधारण) में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/1997—2002, तारीख 31 मार्च, 1999 और लोक सूचना सं. आरई-99/1997-2002, तारीख 31 मार्च, 1999 द्वारा अधिसूचित की गई थी।

[फा०सं० 305/040/99-एफटीटी]

राजेन्द्र सिंह, अवर सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 1999

**No. 42/99-Customs**

**G.S.R. 290 (E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the cut and polished diamonds and Gemstones falling under Chapter 71 of the first Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) hereinafter referred to as the said Act, upto five per cent of the Free on Board (FOB) value of the preceding financial year of the exports of cut and polished diamonds or studded Jewellery, as the case may be, when imported into India by the holders of Diamond Imprest Licences issued under para 8.3 read with para 8.4 of the EXIM Policy, or by the holders of the Gem Replenishment Licences referred to in para 8.30 of the HoP, as the case may be, from the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the said Act and from the whole of the additional duty and special additional duty, if any, leviable thereon under section 3 and section 3A respectively of the said Act, subject to the following conditions, namely:—

(i) the importer, in case of cut and polished diamonds, shall have the status of Export House or Trading House or Star Trading House or Super Star Trading House as per the EXIM Policy and in respect of the goods imported the importer is the actual user within the meaning of para 3.6 of the Exim Policy;

(ii) the maximum weight of any individual piece, in a consignment, of cut and polished diamonds so imported shall not be more than 25 cents or 1/4th of a carat and the entitlement of exemption under this notification shall not be allowed to be carried forward;

(iii) the importer executes a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Commissioner of Customs undertaking—

(a) to re-export the goods so imported within one year from the date of import or during such extended period as the Assistant Commissioner of Customs may allow;

(b) to pay on demand duty of customs as leviable and the penalty and fine, if any, on the quantity of diamonds and gemstones which are not exported, within the specified period of one year or extended period under (a) above, as the case may be.

**Explanation** :—For the purpose of this notification, the expression "EXIM Policy" means the Export and Import Policy, 1 April 1997—31 March 2002, and the expression "HQP" means a Hand Book of Pocedures Vol. I, 1 April 1997—31 March 2002, notified in the Gazette of India, Extraordinary by Government of India, Ministry of Commerce, vide notification No. 1/1997—2002, dated the 31st March, 1999 and public notice No. RE-99/1997—2002, dated the 31st March, 1999 respectively.

[F. No. 305/040/99-FTT]

RAJENDRA SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054